to the Press about the late filing of the returns by the Ministers.

(b) There was no question of explaining away anything.

(c) to (e). There are no instructions on record. However, in one file Shri Desai had made an observation to the effect that a return filed very late could not be considered voluntary.

It has not been considered proper to issue any instructions in the matter to the Income Tax/Wealth Tax Officers in view of the decisions of High Courts and the Supreme Court to the effect that these authorities should be left free to exercise their own discretion and independent judgement in such matters, in accordance with the law.

आदर्श नेत्र अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली को अनुदान

*13. **श्री मौलहू प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट ने अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करने हेतु एक बाण्ड भरा था; यदि हां, तो अनुदान देने के लिए बाण्ड भरवाने की नीति कब से क्रियान्वित की गई है;

(ख) डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को 12,000 रुपये और 1,000 रु० के अनुदान किन किन तारीखों को दिये गये थे;

(ग) क्या उपर्युक्त अनुदान देने के समय भी अपेक्षित बाण्ड भरवाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) डा० भगवान दास स्मारक न्यास ने बाण्ड नहीं भरा क्योंकि बाण्ड भरने की आवश्यक शर्त सितम्बर, 1964 में लागू की गई थी जबकि न्यास को अनुदान उस तिथि से पहले दिए गए थे।

(ख) 12,000 रु० और 1,000 रु० का अनुदान डा० भगवान दास स्मारक न्यास, 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को क्रमशः 17 जनवरी, 1964 और 9 जुलाई, 1964 को दिया गया था।

(ग) और (घ). चूंकि बाण्ड भरने की आवश्यक शर्त सितम्बर, 1964 में लागू की गई थी, इसलिए बाण्ड भरने का प्रश्न ही नहीं उठा।

Recommendations made by the Fifth Finance Commission

*14 SHRI A. SREEDHARAN:
SHRI ISHAQ SAMBAALI:
SHRI E. K. NAYANAR:
SHRI P. VISHWAMBHARAN:
SHRI MANGALATHUMADAM:
SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH:
SHRI MEETHA LAL MEENA:
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI:
SHRI D. AMAT:
SHRI J. MOHAMED IMAM:
SHRI S. M. BANERJEE:
SHRI N. SREEKANTAN NAIR:
SHRI S. R. DAMANI:
SHRI H. AJMAL KHAN:
SHRI C. C. DESAI:
SHRI M. SUDERSHANAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to State :

(a) whether it is a fact that some State Governments have raised objections to the recommendations made by the Fifth Finance Commission in respect of allocation of taxes and grants-in-aid; and

(b) if so, the details thereof and the reactions of Governments thereto and whether Government have taken any final decision

in the matter and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) The representations contend that the devolution recommended by the Finance Commission is inadequate and that it would accentuate regional imbalances.

The majority recommendations of the Finance Commission have invariably been treated by Government as an award and it is not considered appropriate to question the assessment of the needs of the States made by the Commission. Problems of individual States will, however, be examined on merits.

राजनीतिक नेताओं, मन्त्रियों तथा अधिकारियों के विदेशी दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

*15. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों तथा मन्त्रियों के विदेशी दौरों पर 15 अगस्त, 1969 से आज तक सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की कुल कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार खर्च की गई विदेशी-मुद्रा की धनराशि पिछले कुछ महीनों में खर्च की गई धन-राशि के अनुपात में कहीं अधिक है ; और

(ग) भविष्य में विदेशी-मुद्रा के भारी खर्च को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री० प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). मांगी गयी सूचना, संसद सदस्यों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, मन्त्रियों, तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में वर्गानुसार इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी । राजनीतिक नेताओं के बारे में एक भिन्न वर्ग के रूप में अलग से सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा । जैसा अभी कहा गया है, सूचना संसद सदस्यों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के दो स्थूल वर्गों में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ग) सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के प्रस्तावों की जांच वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा सूक्ष्मता से की जाती है और आम तौर पर विदेश जाने की केवल ऐसे ही मामलों में अनुमति दी जाती है जो अनिवार्य होते हैं अथवा जिनमें विदेशी मुद्रा की भारी बचत होने की सम्भावना होती है, अथवा रक्षा-प्रयासों से प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं । मन्त्रियों के विदेश जाने के प्रस्तावों पर वित्त मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति में आगे कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी जाती ।

Proposal for Structural Changes in the Management of World Bank

*16. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in view of the increase in the Special Drawing Rights (SDR) "paper gold" by the World Bank, the Governor of the Reserve Bank of India has proposed structural changes in the management of the World Bank;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the total benefits that the developing countries in general and India in particular would be deriving therefrom vis-a-vis the total benefits to the developed countries ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI):